संख्या-2350/सोलह-1-2009-13(132)/2009

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेई
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक :29 जुलाई, 2009

विषयः- स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत नई संस्था के0आई0पी0एम0 कालेज आफ मैनेजमेंट, गोरखपुर को सत्र 2009-10 से [illegible] एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम को सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2009/17825, दिनांक 20.07.09 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित संस्था को उसके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों/प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अनुमोदन दिये जाने का अनुरोध किया गया है:-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता
[redacted]		
के0आई0पी0एम0 कालेज आफ मैनेजमेंट, गोरखपुर	एम0बी0ए0	60

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा-23(2) के अंतर्गत उक्त संस्था को उसके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों/ प्रवेश क्षमता के साथ संचालित करने हेतु दिनांक 01.07.09 से शैक्षिक सत्र 2009-10 की सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन शासन का अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-

(1) प्रश्नगत संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित /नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी अन्यथा सम्बद्धता संबंधी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को शासन द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

....2

(3) संबंधित संस्था का यह दायित्व होगा कि दिनांक 30 सितम्बर, 2009 तक संस्था में नियुक्त शिक्षकों की सूची उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से अनुमोदित करा लेगा ।

(4) संस्था द्वारा 30 सितम्बर, 2009 तक अपनी वेबसाइट पर तथा शासन/उ0प्र0प्राविधिक विश्वविद्यालय को यह सूचना उपलब्ध करायी जाएगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(5) सत्र 2009-10 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में संबद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(6) प्रश्नगत संस्थाओं द्वारा प्रवेश में उ0प्र0 शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

3. कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(अनिल कुमार बाजपेई)
अनु सचिव

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

(प्र.का.: 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली)

(H.O. : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi) www.pnbindia.com

जमा–पुष्टि
CONFIRMATION OF DEPOSIT

शाखा
Branch GORAKHPUR,JUBILEE ROAD

शाखा क्रमांक/Branch Sl. No.	ग्राहक आई. डी.सं०/Customer I.D. No.	खाता सं०/Account No.	श्रेणी/Category	परिचलन का तरीका/Mode of Operation
187500	CUC004852	187500PR00035104	GENERAL	AUTHORISED SIGNA

श्री/श्रीमती/कुमारी/Received from Sh./Smt./Ms. ASHUTOSH SHIKSHA & SEVA SANSTHAN PLEDGE WITH REGISTRAR , U.P.T.U., LUCKNOW

निवासी/Resident of 15 H KAILASH KUNJ DAUDPUR,GKP,GORAKHPUR,UTTAR PRADESH

केवल अवयस्क हेतु/For minor only
जन्मतिथि/Date of Birth

वयस्कता की तारीख/Date of Majority

रुपये Rs. 3,00,000.00Rs for a period of 3 yrs समय के लिये at the rate of 7.50% प्रतिवर्ष की दर से per annum

रुपये Rupees Three Lakh only.

विकल्प/Option: MATURITY

देय ब्याज अंतराल
Periodicity of Interest payable

जारी करने की तारीख/Date of Issue	प्रभावी तारीख/w.e.f.	परिपक्वता की तारीख/Date of Maturity	परिपक्वता मूल्य/Maturity Value
22-06-2009	22-06-2009	22-06-2012	[illegible]
योजना/Scheme: SPECTRUM DEPOSIT-MATURITY		खाता संख्या में ब्याज जमा करना/Interest to be credited to A/c No.	

नामांकन/Nomination

हम आपसे उपरोक्त जमा राशी स्वीकार करने की पुष्टि करते हैं।
We confirm having accepted from you the above deposit.

महत्वपूर्ण सूचना के लिए कृपया पृष्ठ के पीछे देखें।
Please see on reverse for Important Information.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जीबीपीए सं०)
Authorised Signatory (GBPA No.)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जीबीपीए सं०)
Authorised Signatory (GBPA No.)

संख्या-2350/सोलह-1-2009-13(132)/2009

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेई
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक :29 जुलाई, 2009

विषयः- स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत नई संस्था के0आई0पी0एम0 कालेज आफ मैनेजमेंट, गोरखपुर को सत्र 2009-10 से [illegible] एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम को सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2009/17825, दिनांक 20.07.09 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित संस्था को उसके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों/प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अनुमोदन दिये जाने का अनुरोध किया गया है:-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता
1	2	3
के0आई0पी0एम0 कालेज आफ मैनेजमेंट, गोरखपुर	एम0बी0ए0	60

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा-23(2) के अंतर्गत उक्त संस्था को उसके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों/ प्रवेश क्षमता के साथ संचालित करने हेतु दिनांक 01.07.09 से शैक्षिक सत्र 2009-10 की सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन शासन का अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-

(1) प्रश्नगत संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित /नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी अन्यथा सम्बद्धता संबंधी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को शासन द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

....2

Director
KIPM-College of Management
GIDA, Gorakhpur

(3) संबंधित संस्था का यह दायित्व होगा कि दिनांक 30 सितम्बर, 2009 तक संस्था में नियुक्त शिक्षकों की सूची उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से अनुमोदित करा लेगा ।

(4) संस्था द्वारा 30 सितम्बर, 2009 तक अपनी वेबसाइट पर तथा शासन/उ0प्र0प्राविधिक विश्वविद्यालय को यह सूचना उपलब्ध करायी जाएगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(5) सत्र 2009-10 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में संबद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(6) प्रश्नगत संस्थाओं द्वारा प्रवेश में उ0प्र0 शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

3. कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(अनिल कुमार बाजपेई)
अनु सचिव

Director
KIPM-College of Management
GIDA, Gorakhpur